राष्ट्रीय बांस मिशन के अन्तर्गत
गैर वन क्षेत्र/ निजी क्षेत्र में बांस रोपण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

.....

.....

.....

विषयः गैर वन क्षेत्र/निजी क्षेत्र में बांस रोपण हेतु ''राष्ट्रीय बांस मिशन योजना'' के अन्तगर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्ताव।

महोदय,

मैं/हम . . . . . .पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री . . . . मेरी/हमारी भूमि जो गांव .....पो0 ..... विकासखण्ड .....तहसील..... जिला ..... पिन कोड .....में अवस्थित है, हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अन्तर्गत बांस रोपण हेतु सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हूँ/हैं। मेरी स्वामित्व की भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. प्रस्तावित बांस रोपण भूमि/खण्ड का पता .....
   गांव .....विकासखण्ड .....
   जिला.....राज्य .....पिन कोड .....
2. लाभार्थी का दूरभाष संख्या.....
3. लाभार्थी की जाति.....
4. आधार कार्ड न0.....
5. यदि बांस रोपण सरकारी, पंचायत, सामुदायिक भूमि पर किया जाना है तो उसमें सामान्य, अनुसूचित जाति वं अनुसूचित जनजाति का क्रमशः प्रतिशत.....
6. लाभार्थी के पास कुल उपलब्ध भूमि हैक्टेयर/नाली में ..... (किसान पास बुक/खाता खतौनी का साक्ष्य संलग्न आवश्यक रूप से करें)
7. प्रस्तावित बांस रोपण करने का क्षेत्र है0/नाली/बीघा.....
8. प्रस्तावित बांस रोपण का प्रकार– ब्लॉक रोपण/सीमा रोपण.....
9. भूमि का प्रकार.....सिंचित/असिंचित .....
10. मुख्य मार्ग से प्रस्तावित बांस स्थल की दूरी कि0मी0 में .....
11. जल स्रोतों की उपलब्धता का विवरण .....

12. बांस की पौध का प्रस्तावित नर्सरी का नाम जहां से पौध खरीदा जाना है .....

13. बांस पौध उत्पादन का प्रकार– बीज से/टिश्युकल्चर/गुणनविधि (राईजोम).....

.

14. लाभार्थी का बैक विवरणः

बैंक का नाम.....शाखा .....

खाता संख्या .....आई0एफ0एस0सी0.....

लाभार्थी के हस्ताक्षर

(यदि बांस रोपण सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तावित हो, मोहर लगायें)

बांस रोपण हेतु नियम व शर्ते–

1. पौधों की दूरी 5मी0X5मी0 रहेगी। यदि रोपण केवल खेतों की मेढ़ों अथवा किनारों पर किया जाता है तो कुल रोपित पौधों संख्या के आधार पर क्षेत्रफल की गणना की जाएगी व उसी अनुसार सहायता की राशि आबंटित की जायेगी इस प्रकार 1 है0 क्षेत्रफल में 400 पौधों (1 नाली में 8 पौधों) का रोपण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई लाभार्थी बगीचे, घर, खेतों के किनारे–किनारे बांस रोपण करना चाहता है तो ऐसी दशा में प्रत्येक 400 बांस पौध रोपण को एक हेक्टेयर के बराबर माना जायेगा तथा अनुदान राशि कुल रू0 120 प्रति पौध के हिसाब से 3 किश्तों (50:30:20) अनुपात में देय होगी।
2. भारत सरकार की दिशा–निर्देश के अनुसार निजी भूमि पर बांस रोपण करने हेतु रु. 100000/– प्रति हेक्टेयर की धनराशि आंगणित की गई है, जिस पर वर्तमान में 2 हेक्टर तक के लिए 50 प्रतिशत (रू0 50,000/– प्रति हेक्टेयर) अनुदान तथा 2 से 4 हे0 पर 20 प्रतिशत (रू0 20,000/– प्रति हेक्टेयर) अनुदान के रूप में प्रदान किया किया जायेगा।
3. गैर वन क्षेत्रों (सरकारी, पंचायत तथा सामुदायिक भूमि) में होने वाले बांस रोपण पर अनुदान का राशि 100 प्रतिशत (रू0 1.00 लाख) प्रदान किया जायेगा। अनुदान राशि का 50 प्रतिशत, दूसरी किश्त द्वितीय वर्ष अनुदान राशि का 30 प्रतिशत तथा तीसरी व अंतिम किश्त अनुदान राशि का 20 प्रतिशत। अनुदान राशि बांस रोपण के रखरखाव एवं जीवितता प्रतिशत से लिंक किया जायेगा, जिसमें लाभार्थी द्वारा प्रतिस्थापन (Gap Filling) कर 1 साल के बाद 80 प्रतिशत तथा 2 साल के बाद 100 प्रतिशत होनी आवश्यक है। बांस की पौध लाभार्थी द्वारा स्वयं की जायेगी, यदि परिषद् द्वारा पौध उपलब्ध कराया जाता है तो इस दशा में पौध का मूल्य लाभार्थी के अनुदान राशि से कटौती की जायेगी।
4. अनुदान की राशि तीन किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम किश्त अग्रिम मृदा कार्य तथा पौध रोपण कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त अनुदान राशि का 50 प्रतिशत, दूसरी किश्त द्वितीय वर्ष अनुदान राशि का 30 प्रतिशत तथा तीसरी व अंतिम किश्त अनुदान राशि का 20 प्रतिशत। अनुदान राशि बांस रोपण के रखरखाव एवं जीवितता प्रतिशत से लिंक किया जायेगा, जिसमें लाभार्थी द्वारा प्रतिस्थापन (Gap Filling) कर 1 साल के बाद 80 प्रतिशत तथा 2 साल के बाद 100 प्रतिशत होनी आवश्यक है।
5. बांस की प्रजाति का चयन उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की तकनीकि सलाह पर राष्ट्रीय बांस मिशन की दिग्दर्शिका के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।

6. बांस रोपण के प्रस्ताव मात्र से रोपण हेतु स्वीकृति नहीं मानी जायेगी, फील्ड सत्यापन के उपरान्त ही तकनीकि रूप से सुयोग्य प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।
7. केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों तथा उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति एवं संस्था द्वारा बांस रोपण का निरीक्षण किया जाता है तो इस दशा में लाभार्थी को सहयोग करना होगा।
8. समस्त प्रस्ताव राज्य स्तरीय बैंबू डेवपलमेंट एजेंसी देहरादून को प्राप्त होंगे।
9. आवेदन पत्र दिये गये सभी बिन्दु साफ–साफ शब्दों में भरा जाना आवश्यक है, आधे–अधूरे आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
10. सुयोग्य प्रस्ताव लक्ष्य से अधिक प्राप्त होने पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बांस रोपण की स्वीकृति दी जायेगी।

शपथः–

मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई सभी सूचनाऐं सत्य हैं। मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का पालन के लिए तैयार हूं/हैं, यदि भविष्य में किसी भी समय मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचनाऐं गलत पाई जाती हैं या राष्ट्रीय बांस मिशन के नियम एवं शर्तो के अनुसार कार्य नहीं पाया जाता तो मैं/हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार रहुंगा/रहेगें साथ ही मिशन से प्राप्त पूर्ण धनराशि को राष्ट्रीय बांस मिशन उत्तराखण्ड को वापस करूगा/करेंगें।

आवेदक के हस्ताक्षर

पता.....

.....

.....

.....

(यदि बांस रोपण सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तावित हो, मोहर लगायें)

दिनांक–

स्थान–